

कार्यालय कलेक्टर (आबकारी) जिला दमोह (म०प्र०)

दमोह, दिनांक 10/06/2020

विज्ञप्ति

मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 77 भोपाल, दिनांक 25.02.2020 एवं संशोधित राजपत्र क्रमांक 176 भोपाल, दिनांक 23 मई 2020 के प्रावधान युक्तिपूर्ण रूप में प्रभावी निर्देशों एवं मध्यप्रदेश शासन वाणिज्यिक कर विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक बी-00/2020/2/पांच भोपाल दिनांक 09 जून 2020 तथा आबकारी आयुक्त म०प्र० ग्वालियर का पत्र क्रमांक 7-डेका/2020-21/51 कैम्प भोपाल दिनांक 10 जून 2020 के अनुसार आबकारी राजस्व सुरक्षित रखने के लिए मदिरा दुकानों के संचालन के तात्कालिक विकल्प के रूप में आंशिक अवधि हेतु नवीन व्यवस्था लागू की जाती है। मदिरा दुकानों की अनुमदियों के निरस्त होने तथा उनकी वर्ष 2020-21 की शेष अवधि हेतु पुनर्निष्पादन के बीच लगने वाली समयावधि के लिए राजस्व हित में इस व्यवस्था द्वारा मदिरा दुकानों का संचालन किया जायेगा।

सार्वसाधारण की जानकारी एवं आबकारी के फुटकर ठेकेदारों की विशेष जानकारी के लिए राज्य शासन के आदेशानुसार यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि दमोह जिले के वर्ष 2020-21 के लिए मदिरा दुकानों संचालन के तात्कालिक विकल्प के रूप में नवीन व्यवस्था के फलस्वरूप दमोह जिले के देशी/विदेशी मदिरा DMH/F-1 बस स्टेण्ड क्र.-2 समूह एवं DMH/F-2 हटा समूह की उपरोक्त देशी/विदेशी मदिरा दुकानों के संचालन (स्वीकृत अनुमति एक सप्ताह की अवधि के लिए) हेतु मेन्यूअल निविदा आमंत्रित की जाती है। उपरोक्त निविदा प्रपत्र का मूल्य प्रति एकल समूह 10,000/- रुपये अंकन दस हजार मात्र/- ऑनलाईन सायबर कालान से विभागीय मद 0039 में जमा चालान से कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। जिला कलेक्टर दमोह की अध्यक्षता में गठित जिला समिति द्वारा नदीन कलेक्टर दमोह में आहूत मेन्यूअल निविदा खोलने की कार्यवाही की जायेगी। शासन को यह अधिकार होगा कि वर्ष 2020-21 के लिए स्वीकृत आबकारी व्यवस्था में वर्ष 2020-21 अवधि के दौरान यथा आवश्यक परिवर्तन कर सकेगा।

वर्ष 2020-21 के लिए दमोह जिले के देशी/विदेशी मदिरा बस स्टेण्ड क्र.-2 समूह एवं हटा समूह के संचालन हेतु की जानकारी निम्नानुसार है:-


क्र०	मदिरा दुकान / एकल समूह का क्रमांक व नाम	देशी/विदेशी मदिरा नाम, दुकान	वर्ष 2020-21 के लिए निर्धारित आरक्षित मूल्य / प्राप्त वार्षिक मूल्य	प्राप्त वार्षिक मूल्य में 365 का भाग देने पर प्राप्त 01 दिन का आरक्षित मूल्य (कॉलम 4/365)
1	2	3	4	5
1	DMH/F-1	(क) वि०म०दु० बस स्टेण्ड क्र.-2	102122606	279788
	बस स्टेण्ड क्र. 2 समूह	(ख) दे०म०दु० स्टेशन बाई	49770269	136357
		(ग) दे०म०दु० हिरदेपुर	39807125	109061
		योग :-	191700000	525205
2	DMH/F-2	(क) वि०म०दु० हटा	60374534	165410
	हटा समूह	(ख) दे०म०दु० हटा	46374459	127053
		(ग) दे०म०दु० चन्डीजी बाई	40900209	112055
		(घ) दे०म०दु० बनगांव	17369045	47586
		योग :-	165018247	452105
	महायोग :-	356718247	977310	

वर्ष 2020-21 के लिए दमोह जिले के देसी/दिदेरी सदिरा DMH/F-1 बस स्टेण्ड क्र.-2 समूह एवं DMH/F-2 हटा समूह का संवाहन वैकल्पिक व्यवस्था हेतु अप्रयुक्त पात्र आवेदकों को निविदा फार्म/जमा हेतु तिथियां एवं समय निम्न तालिकाानुसार है :-

1	मैनुअल निविदा प्रपत्र तैयार करने की तिथियां एवं समय	कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी दमोह से दिनांक 11 जून, 2020 को प्रातः 10:30 बजे से दिनांक 12 जून 2020 को दोपहर 02:00 बजे तक
2	मैनुअल निविदा प्रपत्र जमा करने की तिथियां एवं समय	कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी दमोह से दिनांक 12 जून, 2020 को दोपहर 03:00 बजे तक
3	मैनुअल निविदा प्रपत्रों का जिला समिति द्वारा परीक्षण करने खोलने ,एवं भिन्नकरण की तिथि एवं समय	कलेक्टर समूह दमोह में 12 जून 2020 को अपराह्न 04:00 बजे से प्रपत्र खोलने/निराकरण की कार्यवाही पूर्ण होने तक।


टिप :- मैनुअल निविदा तिथियों में एवं प्रक्रिया में परिवर्तन का अधिकार आबकारी आयुक्त मधुप्रदेश ग्वालियर को रहेगा।

राजस्व हित में दमोह जिले में वर्ष 2020-21 के लिए दमोह जिले के देसी/दिदेरी सदिरा DMH/F-1 बस स्टेण्ड क्र.-2 समूह एवं DMH/F-2 हटा समूह का संवाहन वैकल्पिक व्यवस्था हेतु जिले में गठित जिला समिति द्वारा पात्र आवेदकों के हित में किया जायेगा।


कलेक्टर
जिला दमोह
दमोह, दिनांक 10 जून 2020

सूचकांक क्रमांक/आब/ठंका/2020-21/1102
प्रतिलिपि-

1. आबकारी आयुक्त मोतीमहल ग्वालियर, की ओर सूचनार्थ ।
2. अपर आबकारी आयुक्त, राज्य स्तरीय उडनदस्ता भोपाल को सूचनार्थ ।
3. पुलिस अधीक्षक दमोह को सूचनार्थ ।
4. उपायुक्त आबकारी संभागीय उडनदस्ता सागर को सूचनार्थ ।
5. मुख्य कार्यालय अधिकारी, जिला पचायत दमोह को सूचनार्थ ।
6. सहायक सहायक जनसंपर्क अधिकारी दमोह की ओर स्थानीय समाचार पत्रों में समाचार के रूप में प्रकाशनार्थ।
7. स्टैनो दू कलेक्टर दमोह को सूचनार्थ ।
8. ठंका शाखा, जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय दमोह को सूचनार्थ ।


कलेक्टर
जिला दमोह